3. उपरोक्त पत्र पर माननीय सूचना आयोग द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
4. पत्र में अकिंत तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी द्वारा जो राजकार्य में बाधा उत्पन्न की है उसकी सूचना व उसकी प्रमाणित प्रति।

लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ37(3)(54)(RTI)निर्वा/2019/1720 दिनांक 25.06.2020 से प्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना का बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :

1. पत्रांक 20257 दिनांक 24.11.2015 में वर्णित 69 अपीलों का निर्णय माननीय राज्य सूचना आयोग द्वारा किया गया है। अतः निर्णय की प्रतियां आदेश जारी कर्त्ता न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकारी का नाम व अधिकारी का नाम दियाजाना अपेक्षित नहीं है तथा पत्रांक 20257 दिनांक 24.11.2015 की प्रमाणित प्रति पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।
3. उपरोक्त पत्र पर माननीय सूचना आयोग द्वारा क्या कार्यवाही की गई, की सूचना माननीय आयोग से प्राप्त की जा सकती है।
4. वांछित दस्तावेज का क्रमांक दिनांक बताने पर प्रति उपलब्ध कराई जावेगी।

-sd-
(डा. गुंजन सोनी)
लोक सूचना अधिकारी एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 100/2020 (GCMS 2020/00171) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर 08.02.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 16.06.2020 से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी पर 25000/– जुर्माना लगाने,उसे हर्जाना दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के पत्रांक 20257 दिनांक 24.11.2015 जो श्रीमान मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान सूचना आयोग जयपुर को लिखा गया है इसमें प्रथम पैरा मे अकिंत कथन है कि

"श्री राधेश्याम गोयल द्वारा प्रस्तुत अपीलों में माननीय आयोग द्वारा दिये गये करीबन 69 अपीलों के निर्णयो की प्रतियां सादर अवलोकनार्थ सलंग्न है"

1. उपरोक्त 69 अपीलों के निर्णय की – प्रतियों की सूचना व प्रमाणित प्रतियां।

2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मचारी के व अधिकारी की सूचना व उपरोक्त पत्रांक 20257 दिनांक 24.11.2015 की सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी को उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2020 द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में उक्तानुसार उत्तर दिया जा चुका है, जो सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करन योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर